संख्या 2418 /62-2-2010-2/2(47)/2008टी.सी.

प्रेषक ,

सुशील कुमार
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- मण्डलायुक्त,
झाँसी/ चित्रकूट धाम मण्डल,
2- जिलाधिकारी,
झाँसी,ललितपुर,जालौन,हमीरपुर,बाँदा,महोबा एवं चित्रकूट
उत्तर प्रदेश।
3- अधीक्षण अभियन्ता,
लघु सिंचाई वृत्त,
झाँसी।
4- अधिशासी अभियन्ता,
लघु सिंचाई खण्ड,
झाँसी,ललितपुर,जालौन,हमीरपुर एवं बाँदा।

लघु सिंचाई एवं ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा अनुभाग-2लखनऊ दिनाँक 21 अक्टूबर 2010

विषयः-बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत शासनादेश सं0-1973/62-2-2010-2/2(47)/08 टी.सी. दिनाँक 11 मई 2010 द्वारा निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन।

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित शासनादेश द्वारा बुन्देलखण्ड पैकेज के अन्तर्गत 14450 कृषकों को एच.डी.वी.ई. पाइप इरीगेशन सिस्टम वितरित करने के जनपदवार लक्ष्य शासनादेश के संलग्नक-1(द) के अनुसार निर्धारित किये गये थें, जिसके अनुसार 10000 एच.डी.पी.ई. पाइप इरीगेशन सिस्टम अनुसूचितजाति /जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों को और 4450 एच.डी.पी.ई. पाइप इरीगेशन सिस्टम अन्य श्रेणी के कृषकों को वितरित किये जाने थें।

2- उक्त निर्धारित लक्ष्यों के सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग ने यह अवगत कराया है कि एच.डी.पी.ई. पाइप सिस्टम के उक्त निर्धारित लक्ष्य,सिस्टम की इकाई लागत रू0 30000.00 पर आधारित थे किन्तु टेण्डर होने के उपरान्त जो न्यूनतम दरे प्राप्त हुई उसके अनुसार एक सिस्टम की लागत रू0 30000.00 के स्थान पर रू0 25,360.00 आयी है। ऐसी स्थिति में स्वीकृत धनराशि रू0 40.00 करोड़ के सापेक्ष निर्धारित लक्ष्यों में संशोधन आवश्यक है।

3- अतः उक्त सम्बन्ध में मुख्य अभियन्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के अनुसार एच.डी.पी.ई. पाइप इरीगेशन सिस्टम हेतु निर्गत धनराशि रू0 40.00 करोड़ के सापेक्ष अब संशोधित लक्ष्य 14,450 के स्थान पर 16885 निर्धारित किये जाते

है जिसमें 12435 अनुसूचितजाति/जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषकों और 4450 अन्य श्रेणी के कृषकों हेतु है। इनका जनपदवार विवरण संलग्न है।

4- उक्त सन्दर्भित शासनादेश के सुसंगत अंश तथा उसका संलग्नक-1(द) तद्नुसार संशोधित समक्षा जाए।

कृपया उपरोक्तानुसार संशोधित लक्ष्यों के सापेक्ष पूर्ति सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

संख्या 2418 /62-2-2010 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-प्रमुख सचिव,नियोजन विभाग,उत्तर प्रदेश शासन को उनके अ0शा0 पत्र सं0-831/35-आ-1/2008-19 दिनाँक 13.05.2010 के कम में सूचनार्थ।
2-प्रमुख सचिव,ग्राम्य विकास विभाग,उत्तर प्रदेश शासन ।
3-मुख्य अभियन्ता,लघु सिंचाई विभाग,उत्तर प्रदेश को उनके पत्र सं0-466 दिनाँक 09.06.2010 के कम में सूचनार्थ।
4-स्टाफ आफीसर,कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5-स्टाफ आफीसर,मुख्य सचिव,उत्तर प्रदेश शासन।

आज्ञा से

(सुशील कुमार)
प्रमुख सचिव

AK-1-667

शासनादेश संख्या 2418 /62-2-2010-2/2(47)/08 टी.सी. दिनाँक 21/X/10 का संलग्नक

क.सं.	जनपद का नाम	एच.डी.पी.ई. पाइप सिस्टम हेतु स्वीकृत धनराशि रू0 40.00 करोड़ के सापेक्ष संशोधित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य					
		अनुसूचितजाति/जनजाति तथा लघु एवं सीमान्त कृषक		अन्य श्रेणी के कृषक		कुल	
		लक्ष्य	वित्तीय रू0 0.2536 लाख की दर से (लाख रू0 में)	लक्ष्य	वित्तीय रू0 0.1902 लाख की दर से (लाख रू0 में)	लक्ष्य	वित्तीय (4+6) (लाख रू0 में)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	झाँसी	2608	661.32	900	171.18	3508	832.50
2	ललितपुर	864	219.19	300	57.06	1164	276.25
3	जालौन	2608	661.32	900	171.18	3508	832.50
4	हमीरपुर	2608	661.32	900	171.18	3508	832.50
5	बाँदा	2503	634.80	1000	190.20	3503	825.00
6	महोबा	375	95.22	150	28.53	525	123.75
7	चित्रकूट	869	220.44	300	57.06	1169	277.50
	योग	12435	3153.61	4450	846.39	16885	4000.00